

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठारीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 90/2017

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तहसीलदार,पचपदरा		1.मंगीदेवी पत्नि रमेश कुमार, पूनमचंद पुत्र चेताराम, किशनराम, भंवरलाल, वगत्ताराम पुत्र भोंडाराम, वेणीराम, भंवरलाल पुत्र पेन्डाराम, वगैरहा।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970		


आदेश

दिनांक:- 31.10.2017

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सन्वत् 2073 दोराने गश्त गिरदावरी ग्राम हेमपुरा में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे में अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेडल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते/ सडक के रूप में अभिलिखित नहीं हैं, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज/ तर्मीन के आदेश दे रखे हैं।

अतः मौजा हेमपुरा के ख0न0 क्रमशः 1960/67, 1017/67, 1018/67, 1027/70, 1022/69, 1023/69, 1024/69, 1815/1025, 1029/70, 1875/70, 1030/70, 1814/1025 रकबा क्रमश 0.08, 1.00, 0.16, 0.17, 0.07, 0.05, 0.04, 0.12, 0.04, 0.01, 0.12, 0.03 बीघा में संलग्न परिशिष्ट 'अ' में चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट 'ब' में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।


सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारों को नोटिस जारी कर तलब विप्रार्थीगणों द्वारा अपना जबाब पेश किया गया।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात में होने की लाईद जी है तथा बताया की संलग्न नक्शों के बिन्दु 'ए' से 'बी' पर मौके पर रास्ता चल रहा है। तथा उक्त रास्ता वर्तमान नक्शों में डोटेट दर्शाया हुआ है। विप्रार्थीगण वेणीराम उपस्थित रास्ते के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रस्तुत की व जबाब पेश नहीं किया गया। विप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति विवेचन किया है। पटवारी हल्का मौजा हेमपुरा ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शों में 'ए' से 'बी' तक ख० न० क्रमशः 1960/67, 1017/67, 1018/67, 1027/70, 1022/69, 1023/69, 1024/69, 1815/1025, 1029/70, 1875/70, 1030/70, 1814/1025 रकबा क्रमशः 0.06, 1.00, 0.16, 0.17, 0.07, 0.05, 0.04, 0.12, 0.04, 0.01, 0.12, 0.03 बीघा रास्ता वर्तमान में चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए क्रिस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शों में तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि में वर्तमान में रास्ता चल रहा है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गैर तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी क्रिस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा हेमपुरा में अवस्थित ख०न० 1960/67, 1017/67, 1018/67, 1027/70, 1022/69, 1023/69, 1024/69, 1815/1025, 1029/70, 1875/70, 1030/70, 1814/1025 रकबा क्रमशः 0.06, 1.00, 0.16, 0.17, 0.07, 0.05, 0.04, 0.12, 0.04, 0.01, 0.12, 0.03 बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' होते हुए नक्शों में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जात है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत् खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया।

(भागेश्वर राम)
भू-अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा